अनुदान संख्या 55 – विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग
GRANT No. 55–DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	25878,71,00	26068,01,00	25694,82,11	–373,18,89
पूरक	Supplementary	189,30,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				348,46,14

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (37318.89 लाख रु.) दिसम्बर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 18930.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (Rs.37318.89 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.18930.00 lakhs obtained in December, 2006 and March, 2007 and constituted 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat – Social Services				
मू.	O.	1359.00	557.79	555.78	–2.01
पु.	R.	–801.21			
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	2054598.00	2145835.86	2143429.32	–2406.54
पू.	S.	18929.00			
पु.	R.	72308.86			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	154810.00				
पू.	S.	1.00		1.00	. .	–1.00
पु.	R.	–154810.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मु.	O.	373233.00		424695.09	424631.89	–63.20
पु.	R.	51462.09				
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	3871.00		865.12	865.12	. .
पु.	R.	–3005.88				

(I) 155639.00 लाख रु. का प्रावधान (एक शीर्ष के अंतर्गत 1.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) बीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 155285.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.155639.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head) remained wholly unutilised under twenty heads; of these Rs.155285.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202" - "प्रारंभिक शिक्षा - प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम - परामर्शदात्री सेवा/विशेषज्ञों और मूल्यांकन/अध्ययनों संबंधी शुल्क के लिए अदायगी" - 700.00 लाख रु. प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(A) Major Head "2202" - "Elementary Education - National Programme of Nutritional Support to Primary Education - Payment towards fee for consultancy/Experts and Evaluation/ Studies" – Rs.700.00 lakhs – due to non-receipt of proposals.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(B) Major Head "2552" -

(क) "प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण" - 1800.00 लाख रु.;

(a) "Elementary Education – Teacher Training – Strengthening of Teacher Training Institutions"– Rs.1800.00 lakhs;

(ख) ''प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय'' -

(i) ''प्रारंभिक शिक्षा को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम'' - 53480.00 लाख रु.;

(ii) ''सर्व शिक्षा अभियान'' - 95830.00 लाख रु.;

(iii) ''कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय'' - 1280.00 लाख रु.;

(ग) ''प्रौढ़ शिक्षा - जन शिक्षण संस्थान - जन शिक्षण संस्थान को अनुदान'' - 400.00 लाख रु.;

(घ) '' प्रौढ़ शिक्षा - ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम - नवसाक्षर कार्यकलापों के लिए सतत शिक्षा'' - 1495.00 लाख रु.; और

(ङ) ''प्रौढ़ शिक्षा - अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम - साक्षरता अभियान और प्रचालन पुन:स्थापन'' - 300.00 लाख रु.।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय - राष्ट्रीय बाल भवन राष्ट्रीय बाल संग्रहालय बाल भवन समिति'' के अंतर्गत 801.00 लाख रु. के मूल प्रावधन को 27.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 828.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 27.04 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के पूरा न होने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग'' के अंतर्गत 803.22 लाख रु. की बचत (1359.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से विज्ञापन और प्रचार पर कम व्यय

(b) "Elementary Education – Other expenditure" -

(i) "National Programme for Nutritional Support to Primary Education" – Rs.53480.00 lakhs;

(ii) "Sarva Shiksha Abhiyan" – Rs.95830.00 lakhs;

(iii) "Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya" – Rs.1280.00 lakhs;

(c) "Adult Education – Jan Shikshan Sansthan-Grants to Jan Shikshan Sansthan" – Rs.400.00 lakhs;

(d) "Adult Education – Rural Functional Literary Programme - Continuing Education for Neo- Literate Activities" – Rs.1495.00 lakhs; and

(e) "Adult Education – Other Adult Education Programme - Literacy Campaigns and Operation Restoration" – Rs.300.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to the functional heads for utilistion on scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2202" – "Elementary Education – Other Expenditure- National Bal Bhawan National Children's Museum Bal Bhawan Society" – the original provision of Rs.801.00 lakhs was augmented to Rs.828.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.27.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.27.04 lakhs (including supplementary grant) – due to non-release of funds owing to non-completion of procedural requirements.

(III) Under Major Head "2251" - "Secretariat – Department of Elementary Education and Literacy" -saving of Rs.803.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1359.00 lakhs) was due to less expenditure on Advertising and

होने और योजना के अनुसार राज्यों में पत्रकार दलों के दौरों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

Publicity owing to non-receipt of proposals and non-materialisation of visit of press teams to States as planned.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2202'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2202" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''प्रारंभिक शिक्षा'' -

(A) "Elementary Education" -

(क) ''सर्व शिक्षा अभियान - स्थापना और संबद्ध व्यय'' - 340.01 लाख रु. की बचत (3430.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पद के न भरे जाने, किफायती उपाय किए जाने और प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Sarva Shiksha Abhiyan - Establishment and Related Expenditure" – saving of Rs.340.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3430.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant post, economic measures and receipt of less claims for reimbursement.

(ख) ''प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम'' -

(b) "National Programme of Nutritional Support to Primary Education" -

(i) ''खाद्यान्नों की लागत'' - 4027.46 लाख रु. की बचत (108015.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से खाद्यान्नों के उठाए जाने संबंधी सत्यापित आंकड़े प्राप्त न होने के कारण हुई।

(i) "Cost of Food Grains" – saving of Rs.4027.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.108015.00 lakhs) was due to non-receipt of verified lifting figures of food grains from States.

(ii) ''बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को भोजन बनाने की लागत को पूरा करने के लिए सहायता'' - 373.39 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के दौरान निधियों के उपयोग के बारे में सूचना प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) "Assistance for Meeting Cooking Cost to UTs without legislature" – saving of Rs.373.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-receipt of information regarding utilisation of funds during last year.

(ग) ''अन्य व्यय'' -

(c) "Other Expenditure" -

(i) ''महिला समाख्या कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान'' - 400.00 लाख रु. की बचत (2975.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महिला समाख्या समिति का मध्य प्रदेश में पंजीकरण न होने के कारण हुई।

(i) "Grants to Voluntary Organisations engaged in the implementation of the Programme of Mahila Samakhya (EAP)" - saving of Rs.400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2975.00 lakhs) was due to non-registration of Mahila Samakhya Society in Madhya Pradesh.

(ii) ''जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम'' - 10000.00 लाख रु. की बचत (19791.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) "District Primary Education Programme (EAP)" - saving of Rs.10000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.19791.00 lakhs) was due to non-receipt of approval of District Primary Education Programme in Bihar, Jharkhand and West Bengal.

(खा) ''प्रौढ़ शिक्षा'' -

(क) ''ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम - नव साक्षर कार्यकलापों के लिए सतत शिक्षा'' - 1430.49 लाख रु. की बचत (13434.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से निधियों की कम आवश्यकता होने और केरल राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण से समय पर स्टाम्प पूर्व रसीद प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम - साक्षरता अभियान और प्रचालन पुन:स्थापना'' - 166.47 लाख रु. की बचत (2700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जिला साक्षरता समिति से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रारंभिक शिक्षा - राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''खाना बनाने की लागत को पूरा करने के लिए सहायता'' - 45086.68 लाख रु. की बचत (290000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(खा) ''प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन'' - 2691.64 लाख रु. की बचत (6591.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कई राज्यों द्वारा अपेक्षित पात्रता पूरी न किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रारंभिक शिक्षा - प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम - खाना बनाने की लागत पूरी करने के लिए सहायता'' - 2873.32 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(VII) तीन शीर्षों के अंतर्गत 227.90 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00

(B) "Adult Education" -

(a) "Rural Functional Literacy Programme - Continuing Education for Neo-Literate activities" – saving of Rs.1430.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13434.00 lakhs) was due to less requirement of funds owing to non-receipt of proposals and non-receipt of pre stamp receipt from Kerala State Literacy Mission Authority in time.

(b) "Other Adult Education Programmes – Literacy Campaigns and Operation Restoration" – saving of Rs.166.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2700.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from Zila Saksharata Samiti.

(V) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Elementary Education – National Programme of Nutrition Support to Primary Education" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance for Meeting Cooking Cost" - saving of Rs.45086.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.290000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with the States.

(B) "Management, Monitoring and Evaluation" – saving of Rs.2691.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6591.00 lakhs) was due to non-fulfillment of eligibility required by a number of States.

(VI) Under Major Head "3602" –"Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Elementary Education – National Programme of Nutrition Support to Primary Education – Assistance for Meeting Cooking Cost"– saving of Rs.2873.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with the National Capital Territory of Delhi.

(VII) Under three heads savings of Rs.227.90 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and

लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 79 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (13431.15 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 18929.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2202'' -

(क) ''प्रारंभिक शिक्षा'' -

(i) ''सर्व शिक्षा अभियान - बाह्य रूप से सहायता प्राप्त संघटक'' - 10400.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 10399.50 लाख रु.था।

(ii) ''प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम - खाद्यान्नों के संचलन की लागत'' - 1632.45 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1509.55 लाख रु.था।

(ख) ''प्रौढ़ शिक्षा'' -

(i) ''स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान - प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता'' - 950.82 लाख रु. का अधिक व्यय। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 862.14 लाख रु. था।

(ii) ''जन शिक्षण संस्थान - जन शिक्षण संस्थान को अनुदान'' - 447.88 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 403.94 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''प्रारंभिक शिक्षा - सर्व शिक्षा अभियान - सामान्य संघटक'' - 74391.23 लाख रु. का अधिक व्यय (859028.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

constituting 79 percent to 99 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.13431.15 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.18929.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" -

(a) "Elementary Education" –

(i) "Sarva Shiksha Abhiyan - Externally Aided Component" – Rs.10400.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.10399.50 lakhs.

(ii) "National Programme of Nutritional Support to Primary Education – Cost of Movement of Food grains" – Rs.1632.45 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1509.55 lakhs.

(b) "Adult Education" –

(i) "Grants to Voluntary organisations - Support to Non-Governmental organisations in the field of Adult Education" – Rs.950.82 lakhs. Actual excess, however, was Rs.862.14 lakhs.

(ii) "Jan Shikshan Sansthan – Grants to Jan Shikshan Sansthan" – Rs.447.88 lakhs. Actual excess, however, was Rs.403.94 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" – "Elementary Education – Sarva Shiksha Abhiyan – General Component" – excess of Rs.74391.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.859028.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "प्रारंभिक शिक्षा - प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम" -

(i) "खाना बनाने के उपस्करों/रसोई उपकरणों के लिए सहायता" - 14359.67 लाख रु. का अधिक व्यय (11545.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्यालयों में खाना बनाने के उपस्करों/रसोई उपकरणों के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध कराए जाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "रसोई एवं भंडार के निर्माण के लिए सहायता" - 82922.80 लाख रु. का अधिक व्यय (49625.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्यों को रसोई एवं भंडार के निर्माण के लिए निधि जारी किए जाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण" - 1896.74 लाख रु. का अधिक व्यय (15470.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. ***प्रारंभिक शिक्षा कोष:-***

प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने संबंधी कार्यक्रम के संबंध में धनराशि की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध योजना संसाधनों और अनुमानित आवश्यकता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 के अंतर्गत निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, अनुषंगी हितलाभ कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर पर 2% की दर पर शिक्षा उपकर लगाया गया।

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(a) "Elementary Education – National Programme of Nutritional Support to Primary Education" -

(i) "Assistance for Cooking Equipments/ Kitchen Devices" - excess of Rs.14359.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11545.00 lakhs) was due to providing assistance to States for cooking equipments/kitchen devices in schools and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Assistance for construction of Kitchen cum Store" – excess of Rs.82922.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.49625.00 lakhs) was due to release of fund to various State for construction of kitchen cum store and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Elementary Education - Teachers Training – Strengthening of Teachers Training Institutions" – excess of Rs.1896.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15470.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. ***Prarambhik Shiksha Kosh:-***

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalisation of elementary education, the Finance (no.2) Act, 2004 levied an Education Cess @2% on Corporation Tax, Taxes on Income other than Corporation Tax, Fringe Benefit Tax, Excise Duty, Custom Duty and Service Tax.

नवम्बर, 2005 में, भारत के लोक लेखे में तत्कालीन प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक एक व्यपगत न होने वाली निधि का गठन किया गया ।

शिक्षा उपकर से होने वाली समस्त आय ''सर्वशिक्षा अभियान'' और ''दोपहर का भोजन स्कीम'' संबंधी स्कीमों पर व्यय किए जाने के लिए इस प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा की जानी होती है। किसी भी वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों पर किए जाने वाले व्यय को शुरू में अन्य बजटीय संसाधनों से वहन किया जाएगा । इन स्कीमों पर योजना आबंटन संघटक और व्यय को धन अन्य बजटीय संसाधनों के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा कोष से उपलब्ध कराया जाएगा ।

शिक्षा उपकर की अनुमानित प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए नव गठित प्रारंभिक शिक्षा कोष को प्रारंभिक अंतरण के लिए संघ बजट 2006-07 में 8746/- करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था । सर्व शिक्षा अभियान और दोपहर का भोजन संबंधी स्कीमों पर किए गए व्यय के बारे में प्रारंभिक शिक्षा कोष में प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि के लिए बजट अनुमान 2006-07 में समान राशि उपलब्ध कराई गई थी ।

वर्ष 2006-07 के संबंध में निधि का लेखा इस प्रकार था:-

A non-lapsable fund called Prarambhik Shiksha Kosh was created in the Public Accounts of India under the erstwhile Department of Elementary Education and Literacy in November, 2005.

All proceeds of Education Cess is to be credited in to this Prarambhik Shiksha Kosh for being spent on the schemes “Sarva Shiksha Abhiyan” and “Mid-Day Meal Scheme”. Expenditure incurred on these schemes, in any financial year, shall initially be incurred from Other Budgetary Resources (OBR). Component of plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Prarambhik Shika Kosh only after OBR is exhausted.

A provision of Rs.8746/- crores was made in the Union Budget 2006–07 for initial transfer to the newly created Prarambhik Shiksha Kosh against estimated receipt of Education Cess. Identical amount was provided in B.E. 2006–07 for amount to be recouped from Prarambhik Shiksha Kosh in respect of expenditure incurred on the schemes relating to Sarva Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal.

The Account of the Fund for the year 2006–07 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

प्रारंभिक शेष/Opening Balance	शून्य Nil
प्राप्तियां/Receipts	8935,00,00
अदायगियां/Payments	8741,67,27
अंत शेष/Closing Balance	193,32,73